छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-14

रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2015

(चैत्र 2, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरूण वोरा के स्थान पर श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 09 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 9-2/2014/तक.शि./42, दिनांक 10 फरवरी 2015, द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर (संशोधन) परिनियम, 2014 **पटल पर रखा।**

3. पृच्छा

श्री मोतीलाल देवांगन एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में दिनांक 20/3:2015 को हुए लाठी चार्ज की घटना पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दी गई है उस पर शासन का वक्तव्य दिनांक 20 मार्च, 2015 को सदन में आ चुका है। स्थगन प्रस्ताव ग्राहय योग्य नहीं है। मैंने सूचना को कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी कथन किया कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के संबंध में पहले भी कहा था कि कोई लाठी चार्ज की घटना या इस प्रकार की कोई दैनंदिनी घटना स्थगन का विषय नहीं होता।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग करने करने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मैंने 19 मार्च, 2015 को स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी तो उसमें स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि स्थगन प्रस्ताव देने के पूर्व स्थगन प्रस्ताव संबंधी नियम और परंपराओं को देख लें। आपने स्थगन प्रस्ताव में जैसा विषय दिया है, अगर इसी प्रकार के विषयों को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाऐंगे तो मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया का महत्व कम होगा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में शिक्षा विभाग द्वारा व्यायाम उपकरण खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने जगदलपुर शहर स्थित दलपत सागर तालाब में मार्ग निर्माण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. विमल चोपड़ा
(2) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(3) श्री भोलाराम साहू
(4) श्री बृहस्पत सिंह
(5) श्री देवजी भाई पटेल

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-4, प्रेमनगर से निर्वाचित सदस्य श्री खेलसाय सिंह द्वारा मार्च-अप्रैल, 2015 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय कृषि मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने भाग लिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अमरजीत भगत, केशव चंद्रा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11, खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29, वन से संबंधित मांग संख्या 10 एवं श्रम से संबंधित मांग संख्या-18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, राजेन्द्र कुमार राय, बृहस्पत सिंह मांग संख्या-6 पर टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, बघेल लखेश्वर, अमित अजीत जोगी, चिंतामणी महाराज, मोहन मरकाम, दीपक बैज, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, जनकराम वर्मा, संतराम नेताम, केशव चंद्रा मांग संख्या-12 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, सियाराम कौशिक, बघेल लखेश्वर, अमित अजीत जोगी, चिंतामणी महाराज, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, डॉ. प्रीतम राम, सर्वश्री गिरवर जंघेल, दीपक बैज, राजेन्द्र कुमार राय, बृहस्पत सिंह, जनकराम वर्मा मांग संख्या-25 पर टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, सियाराम कौशिक, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री चिंतामणी महाराज, मांग संख्या-32 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सियाराम कौशिक मांग संख्या-71 पर सर्वश्री अमित अजीत जोगी, बृहस्पत सिंह मांग संख्या-65 पर सर्वश्री सियाराम कौशिक, अमित अजीत जोगी मांग संख्या-11 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, (डॉ.) प्रीतम राम, धनेन्द्र साहू, चिंतामणी महाराज, मांग संख्या-43 पर डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री धनेन्द्र साहू, भोलाराम साहू, दीपक बैज, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री केशव चंद्रा मांग संख्या-29 पर सर्वश्री सियाराम कौशिक, चिंतामणी महाराज मांग संख्या-10 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, राजेन्द्र कुमार राय, मोहन मरकाम, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, दीपक बैज, बृहस्पत सिंह, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री गिरवर जंघेल मांग संख्या-18 पर

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, सियाराम कौशिक, अमित अजीत जोगी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री लाभचंद बाफना, धनेन्द्र साहू, नवीन मारकण्डेय, कवासी लखमा, श्रीचंद सुंदरानी,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दिलीप लहरिया, राजू सिंह क्षत्री, (डॉ.) सनम जांगड़े, मोहन मरकाम, अशोक साहू, अमरजीत भगत, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री उमेश पटेल, विद्यारतन भसीन, जनकराम वर्मा, मोतीराम चंद्रवंशी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, अंबेश जांगड़े, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री केशव चंद्रा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री लखनलाल देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सियाराम कौशिक, बृहस्पत सिंह, गिरवर जंघेल, गोवर्धन सिंह मांझी, राजेन्द्र कुमार राय, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

9. पृच्छा

अधिकारी दीर्घा में विभागीय सचिवों का उपस्थित न होना

श्री विमल चोपड़ा, सदस्य द्वारा बजट की महत्वपूर्ण चर्चा पर अधिकारी दीर्घा में संबंधित विभागों के सचिव उपस्थित न होने की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात को संज्ञान में लें कि माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से विभागों के सचिव, जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होने चाहिए।

10. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) डॉ. खिलावन साहू, श्री दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल,

रात्रि 8.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015 (चैत्र-3, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा